पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक (1) /2013 जिला–सागर

54

1– कृष्ण कुमार पुत्र बाबू लाल पटैरिया
2– कुन्तीवाई पत्नी प्रभूदयाल चौबे
निवासी–ग्राम हटकलजैन तहसील वीना जिला सागर म.प्र

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजेन्द्र सिंह ठाकुर पुत्र कुन्दन सिंह ठाकुर
निवासी–ग्राम हटकलजैन तहसील वीना जिला सागर म.प्र
2– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला सागर

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 162–II /03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.09.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि अनावेदक कमांक 1 राजेन्द्र सिंह, जगराम प्रसाद, भुजरा धानक, पूरन धानक, मुलू धानक, लालाराम चमार, मेहरवान चमार, कमलेश चमार तथा हीरालाल धानक ने संयुक्त हस्ताक्षरो से एक शिकायत राज्य मंत्री म.प्र. शासन के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की थी कि ग्राम हटकलजैन के निवासी गोविन्द प्रसाद पटेरिया तथा उसके परिवार को भूमि आवंटित की गयी है जवकि वह इसके पात्र व्यक्ति नही है भूमि आवंटन के समय ग्राम में किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना नही दी गयी तथा पात्र हरिजन आदिवासी भूमिहीन लोगो को छोड कर भूमि आवंटित की गयी है। अतः इन पटटो की जांच करायी जाकर पट्टे निरस्त किये जायें। उक्त शिकायती आवेदन कलेक्टर जिला सागर के माध्यम से नायव तहसीलदार वीना को जांच हेतु भेजा गया।

2– यहकि, नायव तहसीलदार वीना द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण कमांक 4वी/121/91–92 पंजीवद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी इस संबंध में कारण वताओ सूचना पत्र आवेदकगण को दिया गया जिसका जवाव उनके द्वारा विधिवत् समय में दिया जाकर यह निवेदन किया गया कि भूमि का रकवा 5.000 एकड़ पट्टे पर प्राप्त होना बताते हुये शिकायत की गयी है जो निराधार है अतः निरस्त की जायें। आवेदकगण पिता से अलग रहता है तथा पिता के पास 5.36 एकड भूमि है पिता के परिवार में 4 पुत्र व 2 पुत्री है इस

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1125–दो/2013 जिला –सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
20 –04–16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 162–दो/2003 आदेश दिनांक 25.9.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1125–दो/2013 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 162–दो/2003 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 25.9.2012 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 1125–दो/2013 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

रिव्यू-1125 ए/13

1— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य